

न्यायालय राजस्व मण्डल ग्वालियर कोर्ट कैम्प शीवा म0प्र0

Rs-30/-



1-रोहणी प्रसाद तनय रामकृपाल

2- जयपाल तनय भैयालाल तिवारी

होनों निवासी ग्राम पुरास तह0 गुड , जिला शीवा म0प्र0 —निग0कर्तागण

बनाम

1- स्त्र0 लीला-देवी-पत्नी रघुनन्दन-प्रसाद-तिवारी

2-राजाराम पुत्र स्व0 रघुनन्दन प्रसाद तिवारी

3-रामरहीश पुत्र स्व0 रघुनन्दन प्रसाद तिवारी

4-प्रमोद पुत्र स्व0 रघुनन्दन प्रसाद तिवारी

5-स्व0 रामलली बेबा पत्नी बाबूलाल

6-मनोज तनय स्व0 बाबूलाल तिवारी

7-राजीव तनय स्व0 बाबूलाल तिवारी

8-नीरज तनय स्व0 बाबूलाल तिवारी

9-श्रीमती साधना तनया स्व0 बाबूलाल तिवारी

10- हरिश्चन्द्र तिवारी तनय स्व0 वंशीलाल तिवारी

11- बेबा मालती पत्नी स्व0 वंशीलाल तिवारी

12- रामचन्द्र तनय स्व0 बलभद्र तिवारी

13- कृष्णचन्द्र तिवारी तनय स्व0 बलभद्र तिवारी

14-बेबा पार्वती पत्नी स्व0 बलभद्र तिवारी

सभी निवासी ग्राम पुरास तह0 गुड जिला शीवा म0प्र0— गैर निग0कर्तागण

निगरानी विरुद्ध अधीनस्थ न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी तह0 गुड जिला शीवा म0 प्र0 के प्रकरण क्रमांक 27/ए-6/2007-08 आदेश दिनांक 14/09/17 के विरुद्ध

निगरानी अन्तर्गत धारा 50 म0प्र0 भू-राजस्व संहिता सन् 1959 ई0

मान्यवर,

संक्षिप्त विवरण

निगरानीकर्ता के स्वामित्व एवं कब्जा दखल की भूमि ख0क0

524/1 रकवा 0.36 ए0 का के भूमिस्वामी निगरानीकर्ता एवं रेष्या0क0 6 ता

जेहिणी प्रसाद

अधिकांश शीवा न्यायालय
धारा देखा / 10-11-17

कलकें आफ कोर्ट
राजस्व मण्डल म0 प्र0 ग्वालियर
(सर्किट कोर्टी शीवा)

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश ग्वालियर
अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ-अ

107

क्रमांक II/निग0/2017/4429

जिला-रीवा

रोहणी प्रसाद वगैरः/ राजाराम तिवारी व अन्य

(1)	(2)	(3)
05/8/19	<p>आवेदक की ओर से अधिवक्ता श्री मुन्नालाल तिवारी परिहार उपस्थित। आवेदक की ओर से यह निगरानी अनुविभागीय अधिकारी, तहसील गुड के प्रकरण क्रमांक 27/ए 6/2007-08 में पारित आदेश दिनांक 14.09.2017 के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है। म0प्र0 भू-राजस्व संहिता में दिनांक 25.09.2018 को हुए संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अन्तर्गत अनुविभागीय अधिकारी द्वारा पारित आदेश के विरुद्ध सुनवाई कलेक्टर द्वारा की जाना है। अतः यह प्रकरण सुनवाई हेतु कलेक्टर को भेजा जाता है। उभयपक्ष प्रकरण में सुनवाई हेतु दिनांक 25.10.19 को कलेक्टर, जिला रीवा के समक्ष उपस्थित हो।</p> <p>M</p> <p>(महेशचन्द्र चौधरी), सदस्य</p>	